



डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष एवं योगदान

प्रा. बबन पी. मेश्राम

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, एन.एम.डी. कॉलेज, गोंदिया.

प्रस्तावना :-

आज भारतीय समाज अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त है। स्वतंत्रता के बाद से अनवरत यह प्रयास किया गया कि भारतीय समाज का जीवन—स्तर समोन्नत हो और वह अपनी पूर्वगामी स्थापनाओं, संस्कृति, सभ्यता प्रभृति जीवन—तत्वों के विकास का मील का पत्थर बन सके। प्रत्युत शनैः—शनैः समग्र प्रयत्नों के परिणाम प्रतिकूल प्रभाव अंकित करते गए और जय की औदात्यमूलक संचेतना को पराङ्मुखी दुश्चेतना में विवर्तित होने के साक्ष्य बनकर रह गए। आज के जीवन की यह भयावह त्रासदी हमारी समग्र उन्नति को निगलती जा रही है।



इस संदर्भ में महात्मा गांधी और डॉ. आंबेडकर के स्वतंत्रता—पूर्व और स्वतंत्रता—उपरांत के प्रयत्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे और आज भी हमारे समाज को उनकी आवश्यकता है। यथार्थतः इन दोनों महात्माओं ने राज्य बदलने की अपेक्षा समाज बदलने की दिशा में अधिक चिंतन किया था और तदनु रूप कार्यान्विति के प्रयास भी किए थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा समग्र सोच राज्य से समाज बदलने पर केंद्रित हो गया। समाज से राज्य बदलने के प्रयास गौण पड़ते गए और अंततोगत्वा समाज की पृष्ठभूमि संदर्भ—च्युत होने लगी। हालाँकि छुटपुट सामाजिक चेतना यदा—कदा विद्युत् रेखा की तरह कौंधती रही, परंतु राजनीतिक प्रभाववाद ने धर्म, समाज, अर्थ, संस्कृति आदि जीवनामृतों को सोख लिया और राज्यवाद की संस्कारहीनता उन पर थोप दी।

बाबा साहब भीमराव के जीवन और कृतित्व में वर्तमान गुजरात राज्य के बड़ौदा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बड़ौदा के महाराजा सजायी गायकवाड़ शिक्षा प्रेमी व उदार व्यक्ति थे जिनकी दलितों के उत्थान के प्रति रूचि भी थी। उन्होंने बाबा साहब को दो बार छात्रवृत्ति प्रदान की थी किन्तु उस राज्य के अधिकारियों की मानसिकता भिन्न थी और वे अछूत व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते थे। सभी अधिकारी कर्मचारी ब्राम्हणवादी जाति—पाँति तथा छुआ—छूत के विचारों से आते—प्रोत थे जिनका खामियाजा भीमराव आम्बेडकर को बड़ौदा में महाराजा के स्टेट में मिलेटी सेक्रेटरी जैसे उच्च पद पर कार्यरत रहने के दौरान भी उठाना पड़ा। उक्त सभी अधिकारी / कर्मचारी उन्हें उपेक्षा की भावना से देखते थे तथा फाईल या कागज दूर से ही उनकी मेज पर फेंक देते थे क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं मेज में हाथ लग जाने से वे अछूत न हो जाय। हिन्दू वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की दुर्भाग्यपूर्ण यह देन थी जिसके कारण मात्र मानव निर्मित शूद्र वर्ण में पैदा होने के कारण उन्हें यह अपमान झेलना पड़ता था। उन्हें ठहरने के लिए बड़ौदा में कोई स्थान भी नहीं मिला तथा जिस भी होटल में ठहरे उनके अछूत होने की जानकारी होने पर वहाँ से निकलना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में भीमराव ने प्रतिज्ञा की “जीवन पर्यन्त मैं कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करूँगा और इन दलित शोषित तथा प्रवंचित लोगों के हित और सम्मान

के लिए संघर्ष करूँगा ।” इस प्रतिज्ञा का उन्होंने आजीवन पालन किया और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत रहे ।

उद्देश्य :-

लोकतंत्र एक व्यापक, गहन और गंभीर शब्द है, जिसको अनेक मनीषियों ने नानाविध तरीकों से परिभाषित करने की भरसक चेष्टा की है, परंतु जिसे अभी तक किसी एक परिभाषा में बाँधा नहीं जा सका है । यथार्थतः वह न नैसर्गिक स्वतंत्रता का ऐसा अनथका, अबाध और अनबँधा प्रवाह है जो अहर्निश बहते रहने में स—चेतना की अननुभूत अनुभूति से तरंगित व तरलित होता हुआ अनगिनत उर्मियों के साथ, सूर्यरश्मियों के समान आलोकित और आनंदित होता रहता है । लोकतंत्र एक प्रकार की ऐसी अंतश्चेतना है जो व्यक्तिपरक होते हुए भी समाजोन्मुख रहती है और व्यक्ति में समष्टि की सृजन—प्रक्रिया से संबद्ध रहती है । व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से, बिना किसी अंतर्विरोध और अलगाव के, वह परंपराबद्ध किए रहती है । संज्ञामूलक इस अवधारणा की पृष्ठभूमि में मानवतावादी और लोकमांगलित हृदयेच्छाओं की समरसता कार्यरत है । सामूहिक जिजीविषा की समतामूलक चेष्टा ही लोकतांत्रिक प्रणाली की संचेतना है । डॉ. अंबेडकर ने लोकतंत्र के इस व्यापक और गहन अर्थ—प्रकाश को अपने चिंतन और अपने कार्यों से व्यक्त होने दिया था । वे लोकतंत्र को राज्य की सीमाओं से बाहर आकर समग्र सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि समरसतामूलक समतावादी चेष्टाओं में प्रतिफलित होते देखना चाहते थे । वे केवल राजनीति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ढालने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उससे लोकतांत्रिकता प्रतिबंधित होकर रह जाएगी और मानव—समाज का समूचा विकास संभव नहीं हो पाएगा ।

सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष :-

डॉ. अंबेडकर राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते थे । वे मानते थे कि समाज लोकतांत्रिक होने पर राज्य स्वतः लोकतांत्रिक हो जाएगा परंतु राज्य के लोकतांत्रिक होने से समाज भी लोकतांत्रिक हो जाएगा, यह वे आवश्यक नहीं मानते थे । कारण, राज्य शक्ति—संचालित है और सत्ता—शक्ति में तानाशाही मनोवृत्ति न्यूनाधिक रूप में अवश्य रहती है । यदा कदा इसका यह परिणाम भी देखने में आ सकता है कि लोकतंत्र ही अधिनायकतंत्र का रूप धारण कर ले । आज अनेक उध्दरणों से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है ।

लोकतंत्र चेतना का व्यवहार है । चेतना का संस्कार समूहमूलक है । इस कारण डॉ. अंबेडकर राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक अर्थ, धर्म, समाज आदि की स्वतंत्रता पर बल देते थे । साम्यवादियों की तरह उन्होंने धर्मच्युत समाज की स्थापना को महत्व नहीं दिया । धर्म उनके सोचने और जीने का आधार था । वे इस क्षेत्र में धर्म की लोकतांत्रिक संचेतना के प्रवाह की अनुभूति करते रहना चाहते थे । इस क्षेत्र में धर्म की लोकतांत्रिक संचेतना के प्रवाह की अनुभूति करते रहना चाहते थे । इस दृष्टि से धर्म उनके प्राणों का स्फुरण रहा है । धर्म में से समरसतामूलक संज्ञानता और समताधृत संरचना की अभावानुभूति को वे धर्म की लोकपरक लोकतांत्रिक अंतश्चेतना की आत्महत्या मानते थे । फिर वह धर्म नहीं, धर्म की मृत देह मात्र रह जाता है । हिंदू धर्म के प्रति उनमें जो तीव्र आक्रोश का ज्वार—भाटा उठता दृष्टिगोचर हुआ, उसका प्रमुख कारण हिंदू धर्म की पाशविक हठवादिता था । धर्म सहजीवनीय सदाचार की अंतर्पृष्ठभूमि है । धर्म समाज का अंतर्मन है और उसकी आत्मा है । धर्मरहित जीवन की कल्पना करना उनके लिए कतई संभव नहीं था ।

सामाजिक लोकतंत्र का आधार धर्मपीठ की मर्यादाओं द्वारा मर्यादित व संचालित होगा तो सामाजिक संकीर्णताओं के नागपाश सिर नहीं उठा सकेंगे और रूढ़ांधता के अंधे गलियारों में सामाजिकता को भटकना नहीं पड़ेगा । फिर किसी समाज व धर्म में अछूत नहीं होंगे और न रंगभेद का प्रश्न खड़ा होगा । डॉ. अंबेडकर को इसी कारण धर्म और समाज से संघर्ष करना पड़ा । “डिप्रिस्ट क्लासेज़ मिशन सोसाईटी ऑफ इंडिया” ने बंबई में अपनी पहली सार्वजनिक कॉन्फ्रेंस की थी । और उसमें पटेल, टैगोर, बड़ौदा के महाराज, द्वारिका के शंकराचार्य, ई.पी. ठक्कर, तिलक आदि ने पुरजोर यह आवाज उठाई थी कि अज्ञानता—आधृत ईर्ष्या और जातिवाद की कट्टरता को अब तिलांजलि देने का समय आ चुका है ।

तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईश्वरका आदेश भी छुआछूत सहन करने का हो तो वह उस आदेश को मानने से इन्कार कर देंगे। वह छुआछूत को एक रोग मानते थे और चाहते थे कि इसे लाजिमी तौर पर खत्म करना चाहिए। हालाँकि इस कान्फ्रेंस में तैयार किए गए 'मेनीपोस्टो' पर तिलक ने हस्ताक्षर नहीं किए। डॉ. अंबेडकर को इससे गहरा धक्का लगा और वे सोचने लगे कि सवर्ण जाति के वे लोकप्रिय नेता, जो अछूतों के उन्नयन की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मात्र प्रदर्शन करते हैं, अंदर से वे पूर्णतः सवर्ण जाति से जुड़े हैं।

डॉ. अंबेडकर ने महाराजा कोल्हापुर की आर्थिक सहायता से जनवरी, १९२० से एक पाक्षिक समाचार—पत्र 'मूक नायक' प्रकाशित किया था। 'मूक नायक' का विज्ञापन उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लोकप्रिय समाचार—पत्र 'केसरी' में प्रकाशनार्थ प्रेषित किया और विज्ञापन—प्रकाशन की निर्धारित राशि देना भी स्वीकार किया परंतु तिलक ने उस विज्ञापन को प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनको लिखना पड़ा कि हिंदू समाज ऐसा गुंबद है, जो कई मंजिल का है परंतु उसमें न तो कोई सीढ़ी है और न कोई द्वार। जिस मंजिल पर जो पैदा हुआ है, वह उसी मंजिल में मर जाएगा। परिणामतः वे सोचने लगे थे कि स्वदेशी सरकार (होमरूल) की माँग पेश करने से पूर्व यह अपरिहार्य है कि सवर्ण जातियाँ अछूतों को सामाजिक समानता का अधिकार दे क्योंकि अछूतों को भी स्वराज्य—प्राप्ति का उतना ही अधिकार है जितना सवर्ण जातियों को। अछूत भी हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं।

डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि मात्र देश को स्वतंत्र कराने से काम नहीं चलेगा अपितु वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र भी बने, जिसमें उसके प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता मिले। यदि ब्राम्हण जाति को ब्रिटिश शासन रास नहीं आता है तो अछूत जातियों को ब्राम्हण शासन बर्दाश्त नहीं होगा। यदि स्वराज्य में अछूतों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया तो वह उनके लिए स्वतंत्रता नहीं अपितु घोरतम परतंत्रता का प्रतीक होगा। उनके इन विचारों को लेकर सवर्ण जातियों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का शत्रु घोषित कर दिया। आश्चर्य तो यह है कि जो व्यक्ति भारत को एक महान् राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, वह देशद्रोही कैसे हो सकता है? आखिर ऐसे स्वराज्य का अर्थ भी क्या है जो सबको समानता का अधिकार प्रदान न कर सके? आखिर ऐसे स्वराज्य का अर्थ भी क्या है जो सबको समानता अधिकार प्रदान न कर सके? एक स्वतंत्र राष्ट्र में एक जाति विशेष अन्य जातियों का शोषण कर और उन्हें दासता की जंजीरों में जकड़े रहने का प्रयत्न करे तो ऐसे स्वराज्य से क्या लाभ?

डॉ. अंबेडकर यह अनुभव करने लगे थे कि सवर्ण जातियों के नेताओं द्वारा अछूतों के अधिकार का प्रयत्न मात्र एक छलावा है।

सामाजिक योगदान :—

डॉ. अंबेडकर ने बम्बई विधान परिषद् के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की तथा सदस्य के रूप में १२ वर्ष के इस कार्यकाल में उन्होंने देश के सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार के कार्य किये। लन्दन में होने वाले तीन गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भारत के दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में मान्यता दिलाई। उन्होंने लोथियन समिति के सदस्य के रूप में दलितों की पशुवत सामाजिक दशा और समाज में प्रचलित छूआ-छूत को समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को स्थल पर दिखाया एवं पूरी दूषित सामाजिक व्यवस्था की स्थिति की जानकारी उन्हें दी। बाबा साहब को बचपन में प्राप्त भेदभाव व अपमान के व्यवहार से यह मानने के लिए बाध्य कर दिया था कि अछूत हिन्दू समाज के अंग नहीं हैं और केवल हिन्दुओं की आबादी में उनका प्रतिशत बढ़ाने के लिए हिन्दू में गणना की जाती है उन्होंने संसार के समक्ष यह कर देना चाहा कि अछूत हिन्दू है अथवा नहीं। इस दृष्टि से सर्वप्रथम उन्होंने जो आन्दोलन चलाये उसमें महाड़ सरोवर के पीने का पानी लाने का प्रयास रहा। इस सरोवर से दलित वर्ग के लोग पानी नहीं ले सकते थे। बम्बई विधान परिषद् ने १९२३ में डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों से यह प्रस्ताव पास किया कि सार्वजनिक धन से संचालित स्थानों के प्रयोग का अधिकार अछूतों को दिया जाय। प्रस्ताव के अनुसार बम्बई सरकार ने महाड़ सरोवर से पानी लेने का अधिकार अछूतों को प्रदान किया जिसका सवर्ण

हिन्दुओं की तरफ से प्रबल विरोध हुआ और उन्होंने कानून बन जाने के बाद भी तालाब से पानी न लेने देने का निश्चय किया। दलित लोगों ने महाड़ नामक स्थान पर मार्च, १९२७ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इस महा सम्मेलन में बाबा साहब ने उपस्थित दलित जनसमुदाय का आह्वान कर कहा कि जब तक निम्न सुधार दलित वर्ग अपने जीवन में नहीं कर लेते उन्हें किसी स्थायी प्रगति की आशा नहीं करनी चाहिए :-

उनके विचारों को सुसंस्कृत होना चाहिए।
उनकी आवाज में शक्ति होना चाहिए।
उनकी बात में वजन होना चाहिए।
उनमें स्वाभिमान की भावना हो और स्वयं को पहचाने।

सम्मेलन में १९ मार्च, १९२७ को यह निर्णय लिया गया कि सब लोग सामूहिक रूप से चौदार सरोवर पर पानी लेने चलेंगे। दूसरे दिन जुलूस के रूप में सब लोग वहाँ पहुँचे। सबसे पहले बाबा साहब ने तालाब से पानी पिया, बाद में सभी उपस्थित जनमूह ने। उनके इस कार्य से सवर्ण हिन्दू बहुत कुपित हुए किन्तु विशाल जुलूस पर हमला न कर सम्मेलन के पंडाल में विज्ञाम कर रहे सत्याग्रहियों पर सशस्त्र हमला कर दिया जिससे कईयों को चोटें आईं। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट हो चुके “तालाब” को उन्होंने धार्मिक विधि-विधान से शुद्ध किया। डॉ. अम्बेडकर को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने पुनः सत्याग्रह की तैयारी प्रारम्भ कर दी। उनका ध्येय हो गया कि इस बात का निर्णय हो जाय कि अछूत हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म के अंतर्गत है या नहीं। सत्याग्रह का हर स्तर पर विरोध हुआ। सम्मेलन के लिए हिन्दुओं ने स्थान देने से इनकार कर दिया। हिन्दू व्यापारियों ने “महाड़ दलित परिषद्” के लोगों को कोई भी सामान बेचने से इनकार कर दिया। चौदार तालाब को बाबा साहब विधिक रूप से सार्वजनिक मानते थे क्योंकि जिस स्थान का हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उपयोग करते हैं, वह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती थी। उनका तर्क था कि तालाब के पानी के बिना भी वे लोग जीवित रह सकते हैं किन्तु अपने मानवीय अधिकार की रक्षा के लिए वे सत्याग्रह कर रहे हैं। जिला प्रशासन की मध्यस्था व सत्याग्रह के हिंसक न होने देने के कारण बाबा साहब ने यह सत्याग्रह यद्यपि स्थगित कर दिया किन्तु मार्च १२, १९३७ को न्यायालय के अछूतों के पक्ष में हुए निर्णय से बाबा साहब के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जीत हुई और इस प्रकार बाबा साहब के कट्टर हिन्दुओं को अछूतों के प्रति धृणा के बदले विद्यादान दिया। इसी प्रकार बाबा साहब ने अछूतों के मन्दिर में प्रवेश के लिए भी आन्दोलन चलाया। पहले तो लोगों ने इस आन्दोलन का माखौल उड़ाया किन्तु कालान्तर में इसकी गम्भीरता बढ़ती गई। इस आन्दोलन में अछूतों का साथ कुर्मी, तेली, मराठों के अतिरिक्त कुछ उदारवादी ब्राम्हण सम्प्रदाय भी दे रहे थे। आन्दोलन पाँच वर्षों तक चला। अमरावती में एक विशाल जनसभा १९२७ में हुई जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर ने की। जुलूस निकाला गया। जुलूस में नारे लगाये जा रहे थे ‘अगर हम ईश्वर की सन्तान हैं तो हमें भी मन्दिर में पूजा करने का अधिकार है। हमें भी पुरोहित बनने का अधिकार है। अगर हम हिन्दू हैं तो हमें हिन्दुओं के पूरे अधिकार चाहिए।’ बाबा साहब द्वारा चलाये जा रहे इस आन्दोलन को दबाने के प्रयास हुए। कई बार आन्दोलनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ किन्तु वे विचलित नहीं हुए। आन्दोलन को अहिंसात्मक बनाये रखने के निर्देश बाबा साहब ने सत्याग्रहियों को बराबर दिया। महात्मा गाँधी, जिनका नाम अछूतोंद्वारा के लिए प्रसिद्ध है, से भी बाबा साहब ने इस सत्याग्रह आन्दोलन का समर्थन करने का आग्रह किया। गाँधी जी ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी क्योंकि उनका मानना था कि सत्याग्रह विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, अपने देश के लोगों के विरुद्ध नहीं। मन्दिर प्रवेश आन्दोलन पाँच वर्षों तक चलता रहा और बाबा साहब के प्रयास से वर्ष १९३५ में मन्दिर प्रवेश कानून बनने पर मन्दिर के दरवाजे अछूतों के लिए खुल सके।

निष्कर्ष :-

आज राज्य और राजसत्ता सर्वोपरि है, व्यक्ति और समाज गौण है । स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता तो एक समुन्नत और सुखी समाज बनाने की थी लेकिन वैसा हो नहीं सका । बावजूद अनेकानेक प्रयत्नों के ;लाख प्रयत्न करने के बाद भी भारतीय समाज में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई । ज़मींदारों, सामंतवादियों और भूपतियों के चंगुल से निकालकर उस प्रजा को नव पूँजीपतियों, नव राजनयिकों और आतंकवादियों के हाथ में सौंप दिया गया । फलतः धार्मिकों, सामाजिकों, नव पूँजीपतियों आदि सबने मिलकर अपनी राजनितिक महत्वाकांक्षाओं की मृगतृष्णाओं की दुरभिसंधि रचनी शुरू कर दी और इन सबको राजनेता अपनी आकांक्षा के अनुरूप हॉकने लगे । इस भयावह षड्यंत्र ने समाज में सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक उदारवृत्ति, चारित्रिक उदारता तथा मानवीय सहिष्णुता आदि प्रवृत्तियों का मार्ग अवरोद्ध कर दिया और समाज को विषैला तथा पुख्ता जातीय आधार प्रदान किया, जिसके खिलाफ देश के महानतम कर्णधारों ने अनवरत संघर्ष किया था । डॉ. अम्बेडकर उनमें से एक थे ।

संदर्भ सुची :-

१. लोहिया : सिद्धांत और कर्म—इंदुमति केलकर,
२. सिविल नाफरमानी : सिद्धांत और अमल — डॉ. लोहिया
३. द्रष्टव्य : माई पॉलिटिकल मैमोरीज़ — डॉ. एन.बी.खरे
४. डॉ. लोहिया : व्यक्तित्व और कृतित्व — डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर.
५. द्रष्टव्य : Dr. Ambedkar – A Critical Story by W.N. Kuber.
६. Who were the Shudras – B.R. Ambedkar.
७. डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एंड मिशन—कीर.
८. टाईम्स ऑफ इंडिया, १९-९-१९३२.
९. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर : सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनाएँ — डॉ. जे.बी. सिन्हा.
१०. डॉ. अम्बेडकर : चिन्तर और विचार — डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर.
११. धम्मचक्र प्रवर्तनानंतरचे परिवर्तन — डॉ. प्रदीप आगलावे.